1449. [Transferred to 8th March, 1994]

**विधिज्ञ परिषद् में सरकारी कर्मचारियों का पंजीकरण**

**1450. मौलाना ओबुदुल्ला खान आजमी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की विधिज्ञ परिषद् (बार काउंसिल आफ इंडिया) दिल्ली विधिज्ञ परिषद् (दिल्ली बार काउंसिल) ने ऐसा प्रावधान किया है कि केंद्रीय सरकार के विधि-स्नातक कर्मचारी स्वयं को उनके पास पंजीकृत नहीं करा सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कार्मिक विभाग ने अपने दिनांक 15 जनवरी, 1974 के यू० ओ० संख्या 207/74-स्थापना (ए) के स्पष्टीकरण में केंद्रीय सरकार के विधिस्नातक कर्मचारियों को विधिज्ञ परिषदों में अपना नाम पंजीकृत कराने की अनुमति दी है बशर्ते कि वे सक्रिय वकालत न करें;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इसके विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(ङ) क्या यह सच है कि विधिज्ञ परिषद् का यह नियम मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है; और

(च) यदि हां, तो सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

**विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज)** : (क) और (ख) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के नियम 49 के अधीन अन्य बातों के साथ, कोई अधिवक्ता सरकार का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होगा। दिल्ली विधिज्ञ परिषद् नियम के नियम 103 के अधीन, अन्य बातों के साथ किसी ऐसे अधिवक्ता को जो अधिवक्ता के रूप में सम्मिलित किए जाने के लिए अन्यथा अर्हित है, किन्तु अंशकालिक या पूर्णकालिक सेवा में या नियोजन में है, अधिवक्ता के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उपरोक्त दोनों नियम केंद्रीय सरकार के विधि अधिकारी को लागू नहीं होते हैं।

(ग) और (घ) विधिज्ञ परिषद् में नामांकन का विनिश्चय राज्य विधिज्ञ परिषदों और भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण की केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम के संदर्भ में सीमित सुसंगति है। अतः इसमें कोई परस्पर-विरोध नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Responsibilities of Central observers appointed to guide the election machinery**

1451. SHRI IQBAL SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state

(a) whether Government have codified the duties and responsibilities of Central observers appointed to guide the election machinery at the field level ;

(b) whether the observers have any statutory powers at the time of elections ;

(c) if so, the details thereof and if not the reasons therefor ; and

(d) what is the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) and (b) No, Sir.

(c) and (d) The proposal to give statutory backing to observers appointed by the Election Commission of India is one of the proposals included in the package on Electoral Reforms which the Government intend to finalise after consultation with political parties. No decision, however, has yet been taken by the Government on these proposals.